हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

तारीख हुक्म	सुमित्रा देवी बनाम छोटूराम वगै0 प्र.प. 145/2022	तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.6.24	पत्रावली आदेश हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम मारीगसर पटवार हल्का नयासर में स्थित हाल खसरा नम्बर 234 रकवा 1.43 हैक्टर, ख.नं. 235 रकवा 4.05 हैक्टर, ख.नं. 236 रकवा 1.30 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 6.78 हैक्टर स्थित है। प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा देवी दर्ज है जबकि राजस्व रिकार्ड में भूलवश प्रार्थीया का नाम श्रवणी देवी पुत्री हनुमानाराम गलत दर्ज हो गया। जिसको दुरूस्त करना न्यायोचित है।विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 जो प्रार्थीया के भाई बहिन है का नाम सही दर्ज हुआ है। वर्णित धारा 1 खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम भूलवश श्रवणी देवी गलत दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया के सभी दस्तावेजात में प्रार्थीया का नाम सुमित्रा देवी दर्ज है। जिसको दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसील झुन्झुनू के ग्राम मारीगसर पटवार हल्का नयासर में स्थित हाल खसरा नम्बर 234, 235, 236 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम श्रवणी देवी की जगह सुमित्रा देवी पुत्री हनुमानाराम दुरूस्त करने का आदेश फरमाया जावें। उक्तानुसार प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जबाव देही तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4 व 5 की ओर से जवाव प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज होना नहीं जाहिर किया है। अप्रार्थी संख्या 01, 03, 06 की मृत्यु हो जाने पर अधिवक्ता द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया। तहसीलदार झुन्झुनू ने अपने पत्रांक भूअ/2023/2191 दिनांक 17.10.2023 द्वारा जबाव पेश कर सुमित्रा देवी पुत्री हनुमानाराम का नाम शुद्व किये जाने बाबत रिपोर्ट पेश की है। प्रकरण में बहस वकील पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया जाकर बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया गया। उक्त दस्तावेजाती तथ्यों के आधार एवं न्यायालय मत पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः **आदेश** आवेदिका का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वह ग्राम मारीगसर पटवार हल्का नयासर में स्थित हाल खसरा नम्बर 234, 235, 236 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम श्रवणी देवी की जगह सुमित्रा देवी पुत्री हनुमानाराम दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। आदेश की पालना हेतु तहसीलदार झुन्झुनू को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमिल जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.) (सुमन सोनल) उपखंड अधिकारी, झुन्झुनू	

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)